राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 10, मंगलवार, शाके 1942–दिसम्बर 1, 2020
Agrahayana 10, Tuesday, Saka 1942–December 1, 2020

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2020

संख्या प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 :-विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की निरन्तरता में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 के द्वारा निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 1200/- रूपए प्रति जांच निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात देश में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट रीएजेन्ट्स, वी. टी. एम. किट तथा अन्य उपभोग्य (Consumables) की कीमतों में गिरावट एवं सहज उपलब्धता तथा आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्ष उपरान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच हेतु निर्धारित की गई दरों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (Accreditated) एवं आईसीएमआर से कोविड-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 800/- रूपए (जीएसटी/सभी कर सहित) निर्धारित की जाती है।

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

सिद्धार्थ महाजन,
शासन सचिव।

6221

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।